19/2/20 पत्रा. पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि सीमा कमिश्नर का प्रार्थना पत्र केवल मूल वाद पत्र में लगाया है। इस प्रार्थना पत्र में नहीं लगाया है। अतः पत्रा. में प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रा. में उपलब्ध दस्तावेज तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा. फैसला शुमार शेर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला–उदयपुर (राज.)

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 20 / 2018

उनवान

1 श्री लक्ष्मण पिता कचरा मीणा उम्र 70 साल निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

2 श्री धूला मीणा पिता लालू मीणा उम्र–72 साल निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील –सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री काला पिता अमराजी मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

2 श्री देवा पिता काला मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

3 श्री शंकर पिता देवा मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

4 श्री बाला पिता देवा मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

5 श्री कचरा पिता देवा मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

6 भंवरी पत्नी शंकर मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

7 जीवली पत्नी देवा मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

8 सुगना पत्नी वाला मीणा उम्र–बालिग निवासी– जाम्बुडाफला मनात तहसील – सेमारी जिला उदयपुर (राज.)

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेषचन्द धाकड आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 20/2018
उनवान–लक्ष्मण बनाम काला
प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

::: निर्णय :::

दिनांकः 19.02.2020

❖ उपस्थितिः–

1. श्री अमरसिंह मीणा– अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः– प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा जाम्बुडा पटवार घोडासर तहसील सेमारी मे आराजी नम्बर 3219/ 2919 रकबा– 0.48 3323/ 2673 रकबा –0.46 3335/ 2917 रकबा– 0.70 2918 रकबा– 0.46 2918/ 1 रकबा– 0.28 हैक्टेयर वदीगण की सामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में बाड लगाकर फसल करते हैं। विपक्षीगण ने जबरन प्रार्थीगण की खेत की बाड तोड डाली। दिनांक 05/07/17 को विपक्षीगण प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि को बदनीयती से हडपने आये व प्रार्थीगण को कहा कि उक्त भूमि हमारी है यहां से चले जाओ वरना जान से मार देंगें कहकर प्रार्थीगण को भगा दिया। इसलिए प्रार्थीगण को विपक्षी के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करना पडा।

प्रार्थी ने प्रार्थना की कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि विपक्षीगण को बेदखल कर प्रार्थीगण को कब्जा सौपा जावें व विपक्षीगण प्राथीगण की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें और न हीं किसी अन्य से करावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 11.12.2019 को विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 19.02.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। दावों की बहुलता को रोकने के लिए उभयपक्ष को पाबंन्द किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
सराडा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेषचन्द धाकड आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र सं. 20/2018

उनवान–लक्ष्मण बनाम काला

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उभयपक्ष को पाबंन्द किया जाता कि विवादग्रस्त आराजी मौजा जाम्बुडा पटवार घोडासर तहसील सेमारी में आराजी नम्बर 3219/ 2919 रकबा– 0.48 3323/ 2673 रकबा –0.46 3335/ 2917 रकबा– 0.70 2918 रकबा– 0.46 2918/ 1 रकबा– 0.28 हैक्टेयर की मौके की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेषचन्द्र धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा जिला उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
सराडा जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner